भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग 1 अप्रैल, 2018 से शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग छात्रों के सशक्तिकरण हेतु एक अंब्रेला योजना ''दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां'' कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के 6 घटक हैं अर्थात प्री–मैट्रिक, पोस्ट–मैट्रिक, उच्च श्रेणी शिक्षा, राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फैलोशिप और निःशुल्क कोचिंग छात्रवृत्तियां हैं। अंब्रेला योजना के संक्षिप्त ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:–

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>घटक</th><th>शामिल पाठ्यक्रम</th><th>प्रति वर्ष छात्रवृत्तियों की संख्या</th><th>अभिभावकीय वार्षिक आय सीमा (रू.)</th><th>छात्रवृत्ति की दर</th><th>आवेदन कैसे करें</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>दिव्यांग छात्रों के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति</td><td>कक्षा 9 वीं और 10 वीं</td><td>25000</td><td>2.50 लाख</td><td>डे स्कोलर के लिए 500 रू. प्रतिमाह एवं छात्रावासियों के लिए 800 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति और पुस्तक अनुदान तथा दिव्यांगता भत्ता जिसकी सीमा 2000 रू. से 4000 रू. वार्षिक हो सकती है।</td><td rowspan="3">ये तीन छात्रवृत्ति योजनाएं राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से कायान्वित की जा रही हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर आनलाइन आवेदन करें।

पोर्टल पंजीकरण हेतु 16 अगस्त, 2020 से खुल गया है।

पोर्टल पर आवेदन जमा कराने और सत्यापन की अंतिम तिथियां निम्न अनुसार हैं:–
<table><tr><th>स्तर</th><th>अंतिम तिथियां</th></tr><tr><td>छात्र पंजीकरण</td><td>31.10.2020</td></tr><tr><td>संस्थान सत्यापन</td><td>15.11.2020</td></tr><tr><td>राज्य सत्यापन</td><td>30.11.2020</td></tr></table>(*) नवीनतम अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट www.scholarships.gov.in पर देखें।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति</td><td>कक्षा 11वीं से मास्टर डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर</td><td>17000</td><td>2.50 लाख</td><td>विभिन्न विषयों में डिग्री डिप्लोमा आदि से संबंधित स्नातकोत्तर, स्नातक, डिप्लोमा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, के लिए रखरखाव भत्ते की दरें भिन्न–भिन्न हैं। यह छात्रावासियों के लिए 900–1600 रू. प्रतिमाह तथा डे स्कोलर के लिए 550–750 रू. प्रतिमाह की सीमा में तथा ट्यूशन शुल्क (अधिकतम सीमा 1.50 लाख रू. प्रतिवर्ष), पुस्तक भत्ता और दिव्यांगता भत्ता 2000 रू. से 4000 रू. प्रतिवर्ष की सीमा तक है।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति</td><td>उत्कृष्टता के 241 अधिसूचित संस्थानों में स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा</td><td>300</td><td>6.00 लाख</td><td>छात्रावासियों हेतु 3,000 रू. प्रतिमास और डे स्कालर हेतु 1,500 रू. प्रतिमास रख रखाव भत्ता, दिव्यांगता भत्ता 2000 रू. प्रतिमाह, पुस्तक अनुदान 5,000 रू. प्रतिवर्ष और ट्यूशन फीस 2.00 लाख रू. तक प्रतिवर्ष ।</td></tr>
</table>

4.	दिव्यांग छात्रों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	विदेश में स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों में मास्टर डिग्री तथा डॉक्टरेट डिग्री	20	6.00 लाख	यू.के. हेतु 9,900 पौंड (ग्रेट ब्रिटेन), तथा अन्य देशों के लिए 15400 यूएस डॉलर प्रतिवर्ष रखरखाव भत्तों, के साथ ट्यूशन शुल्क, वार्षिक आकस्मिक व्यय भत्ता, हवाई यात्रा लागत आदि।	आवेदनों की प्राप्ति वर्ष भर होती रहती है। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र इस विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in. पर दिया गया है। आवेदन निर्धारित प्रपत्र में अवर सचिव (छात्रवृत्ति), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कमरा नं. 519, 5वां तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003 को पूरे वर्ष भेजा जा सकता है।
5.	दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप	भारतीय विश्वविद्यालयों में एम. फिल/पीएचडी	200	कोई अधिकतम आय सीमा नहीं	जेआरएफ (प्रथम दो वर्ष) हेतु 31,000/– रू. तथा एस आर एफ हेतु 35,000/– रू. प्रतिमाह (तीसरे वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि तक) तथा आकस्मिक व्यय अनुदान, एस्कोर्ट भत्ता/रीडर भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि (लागू दरों पर)।	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चयन किया जाता है। जब कभी यूजीसी द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं तो उम्मीदवार आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को कोई भी आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है।
6.	निःशुल्क कोचिंग	सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्द्धी परीक्षाओं में सम्मलित होने के लिए और तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु	2000	6.00 लाख	इस विभाग द्वारा पैनलबद्ध कोचिंग संस्थानों को कोचिंग शुल्क देय होगा। स्टाईपेंड और विशेष दिव्यांगता भत्ता बाह्य उम्मीदवारों के लिए 7000 रू. प्रतिमाह तथा स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 4500 रू. प्रतिमाह की दर से देय होगा।	कोचिंग संस्थान की पैनलबद्धता के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कोचिंग संस्थान संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिश से निर्धारित आवेदन पत्र में अपनें प्रस्ताव भेज सकते हैं।

उपर्युक्त सभी छात्रवृत्तियां 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता तथा सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी किए गए उचित दिव्यांगता प्रमाण पत्र रखने वाले छात्रों के लिए लागू हैं। दिव्यांगताएं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित किए अनुसार है।

कृपया छात्रवृत्ति योजना के बारे में और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट **www.disabilityaffairs.gov.in.** पर देखें।